

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यवसाय एजेंसियों का शासी बोर्ड) विनियम, 2016¹

[27-04-2021 तक संशोधित]

आईबीबीआई/2016-147/जी.एन./आरईजी 001.— दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 196, 203 और 205 के साथ पठित धारा 240 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड एतद्वारा निम्नलिखित विनियमन बनाता है, अर्थात्:-

**अध्याय-I
प्रारंभिक**

लघुशीर्ष और प्रारंभ.

1. (1) इन विनियमनों को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यवसाय एजेंसियों का शासी बोर्ड) विनियमन, 2016 कहा जाएगा।

(2) ये विनियमन इनके राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

परिभाषाएं.

2. (1) इन विनियमनों में जब तक संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो –

²[(क) “बोर्ड” से दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 188 के अधीन स्थापित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड अभिप्रेत है;¹]]

³(कक) “संहिता” का अर्थ दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) अभिप्रेत है;

(ख) “शासी बोर्ड” का अर्थ दिवाला व्यावसायिक एजेंसी के रूप में पंजीकृत कंपनी के निदेशक मंडल से है, जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2(10) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है;

(ग) “आदर्श उप-विधियों” का अर्थ इन विनियमनों के प्रथम अनुसूची में शामिल उप-विधियों से है।

(2) जब तक संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो इन विनियमनों में उपयोग किए गए और परिभाषित न किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उनके लिए संहिता में दिया गया है।

¹ अधिसूचना सं.आईबीबीआई/2016-17/जीएन/आरईजी001., दिनांकित 21-11-2016, भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-III खण्ड 4 में प्रकाशित।

² अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2018-19/जी.एन./आर. ई. जी.035, दिनांकित 11-10-2018 द्वारा अंतःस्थापित।

³ अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2018-19/जी.एन./आर. ई. जी.035, दिनांकित 11-10-2018 द्वारा पुनर्संख्यांकित।

अध्याय-II उप-विधियां

दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों की उप-विधियां होगी.

3. (1) कोई कंपनी, बोर्ड को अपनी उप-विधियां दिवाला व्यावसायिक एजेंसी के रूप में पंजीकरण संबंधी आवेदन के साथ प्रस्तुत करेगी।
 - (2) इन उप-विधियों में आदर्श उप-विधियां में विनिर्दिष्ट सभी मामले शामिल करने होंगे।
 - (3) ये उप-विधियां सभी समय में आदर्श उपविधियों से सुसंगत होंगी ।
 - (4) दिवाला व्यावसायिक एजेंसियां अपनी उप-विधियां, गठित सभी समितियों की संरचना तथा उप-विधियों के तहत सृजित सभी नीतियों को अपनी वेबसाइट में प्रकाशित करेंगे।

उप-विधियों में संशोधन.

4. (1) शासी बोर्ड उप-विधियों में मतदान द्वारा संकल्प पारित कर संशोधन कर सकती है बशर्ते कि संशोधन के विपक्ष में वोट डालने वाले सदस्यों के कम-से-कम तीन गुना सदस्य पक्ष में वोट करें ऐसा न होने पर निदेशकों द्वारा संकल्प के विरुद्ध मत माना जा सकता है।
 - (2) उप विनियमन (1) के अनुसार पारित संकल्प को बोर्ड के पास इसके पारित होने की तारीख से सात दिन के भीतर उसकी अनुमति के लिए दायर किया जाएगा।
 - (3) उप-विधियों में संशोधन उसकी अनुमति की प्राप्ति के सातवें दिवस से प्रवृत्त होगा जब तक कि बोर्ड द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए।
 - (4) दिवाला व्यवसाय एजेंसी संशोधित उप-विधियों की मुद्रित प्रति बोर्ड में पंद्रह दिवस के भीतर उस तारीख से दायर करेगी जब ऐसे संशोधन प्रभावी किए जाते हैं।

अध्याय-III शासी बोर्ड

⁴[5. शासी बोर्ड की संरचना- (1) शासी बोर्ड निम्नलिखित से मिलकर बनेगा-

- (क) प्रबंध निदेशक;
 - (ख) स्वतंत्र निदेशक; और
 - (ग) शेयरधारक निदेशक
- परन्तु शासी बोर्ड में न्यूनतम सात निदेशक होंगे।

- (2) प्रबंध निदेशक को स्वतंत्र निदेशक या शेयरधारक निदेशक नहीं समझा जाएगा ।

⁴ अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2018-19/जी.एन./आर. ई. जी.035, दिनांकित 11-10-2018 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(3) किसी दिवाला व्यावसायिक एजेंसी के किसी कर्मचारी को उसके शासी बोर्ड में प्रबंध निदेशक के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा किन्तु ऐसे निदेशक को एक शेयरधारक निदेशक को समझा जाएगा ।

(4) आधे से अधिक निदेशक अपनी नियुक्ति के समय और निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान सभी समयों पर भारत में निवासी व्यक्ति होंगे ।

⁵[(4क) शेयरधारक निदेशक ऐसा व्यक्ति होगा जो शासी बोर्ड द्वारा यथा-विनिश्चित पात्रता मानदंडों को, जिसके अंतर्गत अनुभव और अर्हता भी है, पूरा करता है ।

(5) स्वतंत्र निदेशकों की संख्या शेयरधारक निदेशकों की संख्या से कम नहीं होगी:

परन्तु शासी बोर्ड की कोई भी बैठक कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक की उपस्थिति के बिना आयोजित नहीं की जाएगी ।

(6) कोई स्वतंत्र निदेशक ऐसा व्यक्ति होगा –

(क) जो कि योग्य और ईमानदार व्यक्ति है;

⁶[(ख)] जिसके पास वित्त, विधि, अर्थशास्त्र, लेखांकन, मूल्यांकन, प्रबंधन या दिवाला के क्षेत्र में विशेषज्ञता है;

(ग) जो एक दिवाला व्यावसायिक नहीं है;

(घ) जो शासी बोर्ड के निदेशकों का नातेदार नहीं है;

(ङ) जिसका दिवाला व्यावसायिक एजेंसी या उसके किसी निदेशक या उसकी दस प्रतिशत से अधिक शेयर पूंजी धारित करने वाले किसी शेयरधारक के साथ ठीक पूर्ववर्ती दो वित्तीय वर्षों के दौरान या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कोई धनीय संबंध नहीं थाया रहा है;

(च) जो दिवाला व्यावसायिक एजेंसी का शेयरधारक नहीं है;

(छ) जो दिवाला व्यावसायिक एजेंसी की दस प्रतिशत से अधिक शेयर पूंजी धारित करने वाले शेयरधारकों के किसी निदेशक बोर्ड का सदस्य नहीं है ।

(7) स्वतंत्र निदेशक, दिवाला व्यावसायिक एजेंसी द्वारा प्रस्तावित नामों की सूची में से बोर्ड द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा ।

(8) कोई व्यक्ति प्रत्येक तीन वर्ष या उसके भाग की अधिकतम दो कार्यावधियों के लिए या ⁷[पचहत्तर वर्ष] की आयु तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य कर सकेगा ।

(9) उप-विनियम (8) में निर्दिष्ट दूसरी कार्यावधि शासी निकाय द्वारा प्रथम कार्यावधि के संतोषप्रद कार्य-निष्पादन के पुनर्विलोकन के अध्वधीन हो सकेगा ।

(10) किसी स्वतंत्र निदेशक के लिए उसी या एक अन्य दिवाला व्यावसायिक एजेंसी में एक शेयरधारक निदेशक बनने के लिए तीन वर्ष की उपशमन अवधि लागू होगी ।

(11) एक-चौथाई निदेशकों से अधिक दिवाला व्यावसायिक नहीं होंगे ।

⁵ अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2020-21/जी.एन./आर. ई. जी.068, दिनांकित 14-01-2021 द्वारा अंतःस्थापित ।

⁶ अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2020-21/जी.एन./आर. ई. जी.068, दिनांकित 14-01-2021 द्वारा प्रतिस्थापित ।

⁷ अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2019-20/जी.एन./आर. ई. जी.043, दिनांकित 23-07-2019 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(12) निदेशक, किसी स्वतंत्र निदेशक का शासी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चयन करेंगे।

(13) ऐसा निदेशक, जिसका शासी बोर्ड या उसकी किसी समिति की किसी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किए जाने वाले किसी विषय में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई धनीय या अन्यथा हित है, सुसंगत परिस्थितियों के उसकी जानकारी में आने के यथासंभव शीघ्र ऐसी बैठक में अपने हित की प्रकृति को प्रकट करेगा और ऐसा प्रकटन, यथास्थिति, शासी बोर्ड या समिति की कार्यवाहियों में अभिलिखित किया जाएगा और वह निदेशक उस विषय की बाबत शासी बोर्ड या समिति के किसी विचार-विमर्श या विनिश्चय में भाग नहीं लेगा।

⁸[(14) कोई निदेशक, किसी प्राधिकारी के ऐसे किसी आदेश को, जो उसके आचरण या ख्याति को प्रभावित करता है, ऐसा आदेश जारी किए जाने के एक सप्ताह के भीतर दिवाला व्यावसायिक एजेंसी को प्रकट करेगा:

परन्तु आदेश की एक प्रति दिवाला व्यावसायिक एजेंसी की वेबसाइट पर तत्काल डाली जाएगी;

परन्तु यह और कि ऐसा निदेशक वहां तत्काल दिवाला व्यावसायिक एजेंसी का निदेशक नहीं रहेगा जहां ऐसा आदेश उसे किसी कंपनी का निदेशक होने से निरर्हित करता है।”

5क. प्रबंध निदेशक(1) प्रत्येक दिवाला व्यावसायिक एजेंसी, बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के अधीन रहते हुए, प्रबंध निदेशक की अर्हता और अनुभव, नियुक्ति की रीति, नियुक्ति के निबंधन और शर्तों और उसके चयन और नियुक्ति से सहबद्ध अन्य प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं का इस शर्त के अधीन रहते हुए अवधारण करेगी कि –

(क) किसी व्यक्ति का प्रबंध निदेशक के रूप में चयन, कम से कम एक राष्ट्रीय दैनिक समाचारपत्र के सभी संस्करणों में खुले विज्ञापन के माध्यम से किया जाएगा;

(ख) प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण करते समय किसी व्यक्ति की आयु पचपन वर्ष से अधिक नहीं होगी, जो कि शासी बोर्ड द्वारा उसके लिए कारण अभिलिखित करने के पश्चात् साठ वर्ष तक शिथिल की जा सकेगी; और

(ग) कोई व्यक्ति पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात्, प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य नहीं करेगा।

(2) प्रबंध निदेशक के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति कम से कम तीन वर्ष और अधिकतम पांच वर्ष के कार्यकाल के लिए होगी।

(3) कोई व्यक्ति अधिकतम दो कार्यावधियों के लिए प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य कर सकेगा।

(4) किसी व्यक्ति की प्रबंध निदेशक के रूप में दूसरी कार्यावधि के लिए नियुक्ति प्रक्रिया नए सिरे से की जाएगी।

(5) प्रबंध निदेशक की नियुक्ति और उसे संदेय पारिश्रमिक का अनुमोदन शासी बोर्ड द्वारा गठित एक प्रतिकर समिति द्वारा किया जाएगा।

(6) प्रबंध निदेशक की नियुक्ति, नियुक्ति का नवीकरण और उसकी सेवाओं का पर्यवसान बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के अध्वधीन होगा।

⁸ अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2020-21/जी.एन./आर. ई. जी.068, दिनांकित 14-01-2021 द्वारा अंतःस्थापित।

(7) प्रबंध निदेशक, शासी बोर्ड या बोर्ड द्वारा जारी किए गए निदेशों, दिशानिर्देशों और अन्य आदेशों या नियमों, संगम अनुच्छेदों, दिवाला व्यावसायिक एजेंसी की उप-विधियों को प्रभावी करने में असफल होने पर या अवचार अथवा पद पर बने रहने की अक्षमता के आधार पर शासी बोर्ड द्वारा बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से सेवा से हटाए जाने या सेवा-समाप्ति के लिए दायी होगा।

(8) बोर्ड, स्वप्रेरणा, से प्रबंध निदेशक को, दिवाला समाधान प्रक्रिया के हितधारकों के हित में या लोक हित में, सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात्, यदि उपयुक्त समझे, हटा सकेगा या उसकी नियुक्ति का पर्यवसान कर सकेगा।

(9) प्रबंध निदेशक, सदस्यता समिति, मानिट्रिंग समिति, शिकायत निवारण समिति और अनुशासनिक समिति का पदेन सदस्य होगा।

5ख. अनुपालन- भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला न्यायालय एजेंसियों का शासी बोर्ड) (संशोधन) विनियम, 2018 के प्रारंभ की तारीख को रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक दिवाला व्यावसायिक एजेंसी, ऐसे प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष के भीतर विनियम 5 और उप-विनियम 5क का अनुपालन करेगी।

9[6. स्वमूल्यांकन

(1) शासी बोर्ड, किसी वित्तीय वर्ष में अपने कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन वर्ष की समाप्ति के तीन मास के भीतर उसके द्वारा विनिश्चित रीति में करेगा।

(2) दिवाला व्यावसायिक एजेंसी, उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट स्वमूल्यांकन की रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगी।

7. अनुपालन अधिकारी

(1) दिवाला व्यावसायिक एजेंसी ऐसा अनुपालन अधिकारी अभिहित या नियुक्त करेगी जो संहिता और विनियमों के उपबंधों, उसके अधीन जारी किए गए परिपत्रों, दिशानिर्देशों और निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) अनुपालन अधिकारी, उप- विनियम (1) में निर्दिष्ट उपबंधों के किसी अननुपालन के बारे में तुरंत और निष्पक्ष रूप से बोर्ड को रिपोर्ट करेगा।

(3) अनुपालन अधिकारी, बोर्ड को वार्षिक रूप से यह सत्यापित करते हुए एक अनुपालन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा कि दिवाला व्यावसायिक एजेंसी ने उप- विनियम (1) में निर्दिष्ट उपबंधों का अनुपालन किया है:

परन्तु वार्षिक अनुपालन प्रमाणपत्र पर दिवाला व्यावसायिक एजेंसी के प्रबंध निदेशक द्वारा भी हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(4) शासी बोर्ड, अपनी बैठक में पारित किसी संकल्प के माध्यम से ही किसी अनुपालन अधिकारी को नियुक्त करेगी या हटाएगी।

अनुसूची
दिवाला व्यावसायिक एजेंसी की आदर्श उप-विधियां
[विनियमन 3 के अंतर्गत पठित विनियमन 2(1)(ग)]

I. सामान्य

1. दिवाला व्यावसायिक एजेंसी का नाम "....." (जिसे इसके बाद "एजेंसी" कहा जाएगा)।
2. एजेंसी कंपनी के रूप में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के साथ पंजीकृत है के अंतर्गत और इसके पंजीकृत कार्यालय में स्थित है [पूरा पता दीजिए]।
3. इन उप-विधियों को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यावसायिक एजेंसी का शासी बोर्ड) विनियमन, 2016 के सिवाय, संशोधित नहीं किया जा सकता।

II. परिभाषाएं

4. (1) इन उप-विधियों में जब तक संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो –

¹⁰[(क) "नियत कार्य (असाइनमेंट)" से किसी दिवाला व्यावसायिक का अंतरिम समाधान व्यावसायिक, समाधान व्यावसायिक, परिसमापक, शोधन अक्षमता न्यासी, प्राधिकृत प्रतिनिधि या संहिता के अधीन किसी अन्य भूमिका में कोई नियत कार्य अभिप्रेत है;

(कक) "नियत कार्य(असाइनमेंट) के लिए प्राधिकार" से किसी दिवाला व्यावसायिक एजेंसी द्वारा किसी ऐसे दिवाला व्यावसायिक को, जो उसका व्यावसायिक सदस्य है, उसकी उप-विधियों के अनुसार जारी किसी नियत कार्य को आरंभ करने का प्राधिकार अभिप्रेत है;

(कख) "सदस्यता प्रमाणपत्र" से उप-विधि 10 के अधीन अनुदत्त एजेंसी की सदस्यता का प्रमाणपत्र अभिप्रेत है; 1]

(ख) "संहिता" का आशय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) से है;

(ग) "शासी बोर्ड" का आशय एजेंसी के निदेशक मंडल से है जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2(10) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है;

(घ) "व्यावसायिक सदस्य" का आशय दिवाला व्यावसायिक से है जिसका इस प्रकार इन उप-विधियों के भाग-VI के अनुसार नामांकन किया गया है;

(ङ.) "संबंधी" का वही अर्थ होगा जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(77) में वर्णित है।

- (2) जब तक अन्यथा संदर्भ अपेक्षित न हो प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां जिसे इन उप-विधियों में परिभाषित नहीं किया गया है का वही अर्थ होगा जो इसे संहिता में दिया गया है।

III. उद्देश्य

5. (1) यह एजेंसी, संहिता के अंतर्गत दिवाला व्यावसायिक एजेंसी के कार्य, और उसके आकस्मिक कार्य करेगी।

¹⁰ अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2019-20/जी.एन./आर. ई. जी.043, दिनांकित 23-07-2019 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) एजेंसी उप-खंड (1) में विनिर्दिष्ट कार्यों के सिवाय कोई अन्य कार्य जो दिवाला व्यावसायिक एजेंसी के कार्यों के निर्वहन से सुसंगत नहीं हो, नहीं करेगी।

IV. एजेंसी के कर्तव्य

6. (1) एजेंसी, इसके व्यावसायिक सदस्यों के विनियमन में उच्च नैतिक और व्यावसायिक मानदंडों का अनुरक्षण करेगी।

(2) एजेंसी –

- (क) दिवाला व्यावसायिक एजेंसी और दिवाला व्यवसायिकों के कार्य व्यवहार को शासित करने के लिए जारी किए गए संहिता और नियमों तथा उसके अंतर्गत जारी विनियमन और दिशानिर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करेगी;
- (ख) इसके व्यावसायिक सदस्यों के नामांकन और विनियमन के लिए उचित तार्किक न्यायोचित और गैर-भेदभाव वाली पद्धतियां अपनाएगी;
- (ग) इसके व्यावसायिक सदस्यों को जारी निदेशों और उप-विधियों के संबंध में बोर्ड के प्रति उत्तरदायी होगी;
- (घ) दिवाला व्यवसायिकों के पेशे को विकसित करेगी;
- (ङ) व्यावसायिक सदस्यों के सतत व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देगी;
- (च) इसके आंतरिक विनियमनों और दिशानिर्देशों में निरंतर सुधार करेगी ताकि इसके व्यावसायिक सदस्यों द्वारा उच्च व्यावसायिक और नैतिक आचरण का अनुरक्षण सुनिश्चित किया जा सके; और
- (छ) और इसकी गतिविधियों के बारे में बोर्ड को सूचना प्रदान करेगी।

V. एजेंसी की समितियां

व्यावसायिक सदस्यों की सलाहकार समिति

7. (1) निम्नलिखित किसी मामले में सलाह देने के लिए शासी बोर्ड, एजेंसी के व्यावसायिक सदस्यों की सलाहकार समिति का गठन कर सकती है –

- (क) व्यावसायिक विकास के लिए,
- (ख) व्यावसायिक मानदंडों और नैतिक आचरण, और
- (ग) दिवाला संकल्प, समापन और शोधन अक्षमता के संबंध में उत्कृष्ट पद्धतियां बनाने में,

(2) सलाहकार समितियां ऐसे स्थान और समय पर बैठक कर सकती हैं जो शासी बोर्ड निर्धारित करे।

एजेंसी की अन्य समितियां.

8. (1) शासी बोर्ड निम्नलिखित गठित करेगा –

- (क) एक या अधिक सदस्यता वाली समिति(यां), जिसमें ऐसे सदस्य शामिल हों जिन्हें वह उचित समझे;
- (ख) एक निगरानी समिति, जिसमें ऐसे सदस्य हों, जिन्हें वह उचित समझे;
- (ग) एक या अधिक शिकायत निवारण समिति(यां) जिसमें तीन से कम सदस्य न हों, उनमें से कम से कम एक सदस्य एजेंसी का व्यावसायिक सदस्य हो;
- (घ) एक या अधिक अनुशासन समिति(यां), जिसमें कम से कम एक सदस्य बोर्ड द्वारा नामित हो।

(2) इन प्रत्येक समितियों का अध्यक्ष एजेंसी का स्वतंत्र निदेशक होगा।

VI. व्यावसायिक सदस्यता नामांकन के लिए अर्हता

9. किसी व्यक्ति को व्यावसायिक सदस्य के रूप में नामांकित नहीं किया जाएगा, यदि वह बोर्ड में दिवाला व्यावसायिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अर्हक नहीं है:-

परंतु कि शासी बोर्ड नामांकन हेतु अतिरिक्त अर्हताओं की अपेक्षा करे:

परंतु यह और कि आगे ऐसी अतिरिक्त अपेक्षाएं धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या व्यावसायिक संबद्धता के आधार पर नहीं होंगी।

व्यावसायिक सदस्य के रूप में नामांकन की प्रक्रिया

10. (1) कोई व्यक्ति व्यावसायिक सदस्य के रूप में नामांकन के लिए आवेदन ऐसे प्रारूप, तरीके और ऐसी फीस के साथ प्रस्तुत कर सकता है जिसे एजेंसी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) एजेंसी लागू संहिता के प्रावधानों और नियमों, विनियमनों और उसके अंतर्गत दिशानिर्देशों के अनुसार आवेदन की जांच करेगी।

(3) एजेंसी आवेदन की जांच पर आवेदक को आवेदन में कोई कमी, यदि कोई हो, तो, उसको दूर करने का अवसर देगी।

(4) एजेंसी किसी आवेदक से अतिरिक्त दस्तावेज, सूचना और स्पष्टीकरण जिसे वह उचित समझे, उचित समय के भीतर प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकती है।

(5) एजेंसी आवेदन को अस्वीकृत कर सकती है यदि आवेदक नामांकन के मापदंड को पूरा नहीं करता है या कमियों को दूर नहीं करता है या उनकी संतुष्टि के लिए अतिरिक्त दस्तावेज या सूचना प्रस्तुत नहीं करता है, जिसके कारण लिखित में दर्ज किए गए हैं।

(6) आवेदन को निरस्त करने की सूचना आवेदक को ऐसे आवेदन की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर ऐसे निरस्तीकरण के कारण बताते हुए दी जाएगी, इसमें कमियों को दूर करने या अतिरिक्त दस्तावेज को प्रस्तुत करने या एजेंसी द्वारा स्पष्टीकरण, जैसा भी मामला हो, के लिए दिया गया समय सम्मिलित नहीं होगा।

(7) आवेदन की स्वीकृति की सूचना अनुलग्नक के प्रारूप क में सदस्यता के प्रमाण पत्र के साथ आवेदक को दी जाएगी।

(8) आवेदक अपने आवेदन के निरस्त होने के निर्णय से व्यथित होने पर एजेंसी की सदस्यता समिति में ऐसे निर्णय की प्राप्ति के तीस दिवस के भीतर अपील कर सकता है।

(9) सदस्यता समिति अपील की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर अपील का ऐसे तरीके, जिसे वह उचित समझे, से निपटान करते हुए एक आदेश पारित करेगी।

व्यावसायिक सदस्यता शुल्क

11. एजेंसी व्यावसायिक सदस्यों से एक निश्चित धनराशि उनके वार्षिक सदस्यता शुल्क के रूप में भुगतान करने की अपेक्षा कर सकती है।

व्यावसायिक सदस्यों का रजिस्टर

12. (1) एजेंसी इसके व्यावसायिक सदस्यों का रजिस्टर रखेगी जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे –

(क) नाम,

(ख) पहचान का प्रमाण,

(ग) संपर्क विवरण,

(घ) पता,

(ङ) नामांकन तारीख और व्यावसायिक सदस्यता संख्या,

(च) बोर्ड में रजिस्ट्रीकरण की तारीख और रजिस्ट्रीकरण संख्या,

¹¹[(चक) नियत कार्य के लिए प्राधिकार और प्राधिकार संख्यांक जारी करने, उसका नवीकरण, निलंबन, निलंबन का प्रतिसंहरण, अभ्यर्पण का रद्दकरण और स्वीकार करने की तारीख
।]

¹¹ अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2019-20/जी.एन./आर. ई. जी.043, दिनांकित 23-07-2019 द्वारा अंतःस्थापित।

- (छ) एजेंसी या बोर्ड के पास उसके विरुद्ध लंबित शिकायतों का विवरण,
 - (ज) एजेंसी या बोर्ड के पास उसके विरुद्ध लंबित अनुशासनात्मक कार्रवाइयों का विवरण, और
 - (झ) एजेंसी या बोर्ड की अनुशासन समिति के द्वारा उसके विरुद्ध पारित आदेशों का विवरण।
- (2) व्यावसायिक सदस्यों से संबंधित रिकॉर्ड निम्नलिखित को निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा –
- (क) बोर्ड,
 - (ख) निर्णायक प्राधिकरण,
 - (ग) लेनदार समिति को कारपोरेट दिवाला संकल्प प्रक्रिया में, यदि व्यावसायिक सदस्यों को अंतरिम संकल्प व्यावसायिक के रूप में नियुक्त किया गया है, या
 - (घ) कोई अन्य व्यक्ति जिसने ऐसे निरीक्षण के लिए सदस्य की सहमति प्राप्त कर ली है।

¹²[12क. नियत कार्य के लिए प्राधिकार

(1) एजेंसी, अपने व्यावसायिक सदस्य द्वारा आवेदन किए जाने पर, नियत कार्य के लिए प्राधिकार जारी या नवीकृत कर सकेगी।

(2) कोई व्यावसायिक सदस्य, नियत कार्य के लिए प्राधिकार अभिप्राप्त करने का तब पात्र होगा, यदि –

- (क) वह बोर्ड के पास दिवाला व्यावसायिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है;
- (ख) वह भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियम, 2016 के विनियम 4 के खंड (छ) के स्पष्टीकरण के निबंधनानुसार उपयुक्त और समुचित व्यक्ति है;
- (ग) वह नियोजन में नहीं है;
- (घ) वह एजेंसी या बोर्ड के किसी निदेश या आदेश द्वारा विवर्जित नहीं है;
- (ङ) उसने सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर ली है;
- (च) उसके विरुद्ध एजेंसी या बोर्ड के समक्ष कोई अनुशासनिक कार्यवाही लंबित नहीं है;
- (छ) वह आवेदन की तारीख को–
 - (i) एजेंसी और बोर्ड को फीस का संदाय करने;
 - (ii) एजेंसी और बोर्ड के समक्ष फाइल करने और प्रकटनों;

¹² अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2019-20/जी.एन./आर. ई. जी.043, दिनांकित 23-07-2019 द्वारा अंतःस्थापित।

(iii) निरन्तर व्यावसायिक शिक्षा; और

(iv) संहिता, विनियमों, एजेंसी और बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्रों, निदेशों या दिशानिर्देशों के अधीन अनुबद्ध अन्य अपेक्षाओं की बाबत अपेक्षाओं का अनुपालन करता है।

(3) नियत कार्य के लिए प्राधिकार जारी करने या उसके नवीकरण के लिए आवेदन ऐसे प्ररूप, ऐसी रीति और ऐसी फीस सहित किया जाएगा, जो एजेंसी उपबंधित करे :

परन्तु नियत कार्य के लिए किसी प्राधिकार के नवीकरण के लिए आवेदन प्राधिकार के अवसान की तारीख से पूर्व किसी भी समय किया जाएगा किन्तु प्राधिकार के अवसान की तारीख से पैंतालीस दिन पूर्व नहीं किया जाएगा।

(4) एजेंसी आवेदन पर उप-विधियों के अनुसार विचार करेगी और यथास्थिति, या तो व्यावसायिक सदस्य को प्ररूप ख में नियत कार्य के लिए प्राधिकार जारी या नवीकृत करेगी या सकारण आदेश सहित आवेदन को नामंजूर करेगी।

(5) यदि एजेंसी द्वारा आवेदन प्राप्त किए जाने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर नियत कार्य के लिए प्राधिकार जारी, नवीकृत या नामंजूर नहीं किया जाता है तो एजेंसी द्वारा प्राधिकार, यथास्थिति, जारी या नवीकृत किया गया समझा जाएगा।

¹³[परन्तु यदि भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों का शासी बोर्ड) (संशोधन) विनियम, 2020 के प्रारंभ होने की तारीख से 30 सितम्बर, 2020 तक प्राप्त किसी आवेदन के लिए एजेंसी द्वारा नियतकार्य के लिए प्राधिकार, आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर जारी, नवीकृत या नामंजूर नहीं किया जाता है तो एजेंसी द्वारा प्राधिकार, यथास्थिति, जारी या नवीकृत किया गया समझा जाएगा।]

¹⁴[परन्तु यह और कि भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों का शासी बोर्ड) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021 के प्रारंभ की तारीख से और 31 अक्टूबर, 2021 को समाप्ति अवधि तक प्राप्त होने वाले किसी आवेदन के लिए, यदि एजेंसी द्वारा नियतकार्य(असाइनमेंट) के लिए प्राधिकार-पत्र, आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर जारी, नवीकृत या अस्वीकृत नहीं किया जाता है तो प्राधिकार-पत्र एजेंसी द्वारा यथास्थिति, जारी या नवीकृत किया गया समझा जाएगा।]

(6) एजेंसी द्वारा जारी या नवीकृत कोई प्राधिकार, यथास्थिति, उसके जारी या नवीकृत किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए या उस तारीख तक विधिमान्य होगा जिसको व्यावसायिक सदस्य सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो।

(7) एजेंसी द्वारा उसका आवेदन नामंजूर करने वाले किसी आदेश से व्यथित कोई आवेदक, आदेश की प्राप्ति की तारीख से ¹⁵[पन्द्रह दिन] के भीतर सदस्यता समिति को अपील कर सकेगा।

¹³ अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2020-21/जी.एन./आर. ई. जी.058, दिनांकित 20-04-2020 द्वारा अंतःस्थापित।

¹⁴ अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2021-22/जी.एन./आर. ई. जी.074, दिनांकित 27-04-2021 द्वारा अंतःस्थापित।

¹⁵ अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2021-22/जी.एन./आर. ई. जी.074, दिनांकित 27-04-2021 द्वारा प्रतिस्थापित।

¹⁶[परन्तु जहां किसी दिवाला व्यावसायिक एजेंसी द्वारा नियतकार्य के लिए प्राधिकार जारी करने संबंधी कोई आवेदन भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों का शासी बोर्ड) (संशोधन) विनियम, 2020 के प्रारंभ होने की तारीख से 30 सितम्बर, 2020 तक नामंजूर किया गया है वहां नामंजूर किए जाने वाले आदेश से व्यथित आवेदक आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर सदस्यता समिति को अपील कर सकेगा ।]

¹⁷[परन्तु यह और कि जहां नियतकार्य(असाइनमेंट) के लिए प्राधिकार-पत्र जारी करने के लिए कोई आवेदन, किसी दिवाला व्यावसायिक एजेंसी द्वारा भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों का शासी बोर्ड) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021 के प्रारंभ होने की तारीख से 31 अक्टूबर, 2021 को समाप्त अवधि तक अस्वीकार कर दिया गया है वहां अस्वीकार किए जाने वाले आदेश से व्यथित आवेदक, आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर सदस्यता समिति को अपील कर सकेगा ।]

(8) सदस्यता समिति, अपील की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर सकारण आदेश द्वारा अपील का निपटारा करते हुए एक आदेश पारित करेगी ।]

VII. सदस्यों के दायित्व

13. (1) एक व्यावसायिक सदस्य अपने कार्यों के निष्पादन में :-

- (क) एक दिवाला व्यावसायिक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन सद्भावनापूर्वक करेगा;
- (ख) ऋणी की आस्तियों की कीमत का अधिकतम प्राप्ति करने का प्रयास करेगा;
- (ग) अत्यंत ईमानदारी और निष्पक्षता से अपने कार्य करेगा;
- (घ) स्वतंत्र और तटस्थ रहेगा;
- (ङ) अपने कार्यों को अधिकतम व्यावसायिक योग्यता और व्यावसायिकता नीति से करेगा;
- (च) अपनी व्यावसायिक दक्षता में निरंतर सुधार करेगा;
- (छ) अपने कर्तव्यों का निर्वहन संहिता के तहत दी गई समय सीमा के अनुसार तीव्रता और कौशलता से करेगा;
- (ज) अपने कार्यों के निष्पादन में लागू नियमों का पालन करेगा; और

¹⁶ अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2020-21/जी.एन./आर. ई. जी.058, दिनांकित 20-04-2020 द्वारा अंतःस्थापित ।

¹⁷ अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2021-22/जी.एन./आर. ई. जी.074, दिनांकित 27-04-2021 द्वारा अंतःस्थापित ।

(झ) अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के दौरान प्राप्त सूचना की गोपनीयता बनाए रखेगा, जब तक कि कानून द्वारा ऐसी सूचना प्रकट करने की अपेक्षा नहीं की जाती हो।

14. एजेंसी की एक आचार संहिता होगी जो भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियम, 2016 में विनिर्दिष्टानुसार आचार संहिता के अनुरूप होगी तथा उसमें सभी मामलों का प्रावधान होगा।

VIII. सदस्यों की निगरानी

15. एजेंसी की एक निगरानी नीति होगी जो यह सुनिश्चित करेगी कि व्यावसायिक सदस्यों की व्यावसायिक गतिविधियाँ, नियमों, विनियमों के प्रावधानों, आचार संहिता और शासकीय बोर्ड द्वारा दिए गए निदेशों के अनुसार हैं।

16. एक व्यावसायिक सदस्य दिवाला व्यावसायिक के रूप में वर्ष में न्यूनतम दो बार चालू और समाप्त कार्यों के अभिलेखों सहित सूचना एजेंसी द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके और प्रारूप में प्रस्तुत करेगा।

17. निगरानी समिति व्यावसायिक सदस्यों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना और अभिलेखों की निगरानी नीति के अनुसार समीक्षा करेगी।

18. निगरानी नीति में निम्नलिखित का प्रावधान होगा -

(क) निगरानी की बारंबारता;

(ख) निरीक्षण के तरीके सहित प्रस्तुतीकरण का तरीका और प्रारूप या व्यावसायिक सदस्यों की सूचना और अभिलेखों को एकत्रित करना;

(ग) निगरानी नीति का अनुपालन करने के लिए व्यावसायिक सदस्यों की बाध्यताएं;

(घ) सूचना और अभिलेखों का प्रयोग, विश्लेषण और अनुसरण;

(ङ) सदस्यों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन;

(च) अन्य कोई मामले, जो शासकीय बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

19. निगरानी नीति में -

- (क) सदस्यों की व्यक्तिगतता का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा;
- (ख) प्राप्त सूचना की गोपनीयता का प्रावधान होगा, जब तक कि बोर्ड द्वारा या विधि द्वारा सूचना के प्रकटीकरण की अपेक्षा न की जाए; और
- (ग) भेदभाव नहीं किया जाएगा।

20. एजेंसी, बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके में बोर्ड को निगरानी के दौरान प्राप्त सूचना की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, इसमें निम्नलिखित से संबंधित सूचना होगी :-

- (क) संहिता के तहत की गई नियुक्तियों का विवरण;
- (ख) उसकी नियुक्ति के दौरान हितधारकों के साथ किए गए लेन-देन;
- (ग) उसकी नियुक्ति के दौरान तृतीय पक्षों के साथ किए गए लेन-देन; और
- (घ) प्रत्येक नियुक्ति का परिणाम।

IX. शिकायत निवारण तंत्र

21. (1) एजेंसी की एक शिकायत निवारण नीति होगी जिसमें एजेंसी या एजेंसी के किसी व्यावसायिक सदस्य के विरुद्ध निम्नलिखित के द्वारा की गई शिकायतों को प्राप्त करने, कार्रवाई करने, निवारण करने और प्रकटीकरण की प्रक्रिया का प्रावधान होगा:-

- (क) एजेंसी के किसी व्यावसायिक सदस्य द्वारा;
- (ख) ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा, जो एजेंसी के संबंधित व्यावसायिक सदस्य की सेवा में है; अथवा
- (ग) अन्य कोई व्यक्ति या व्यक्तियों की श्रेणी, जैसा कि शासी बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) शिकायत निवारण समिति, शिकायत की जांच के बाद –

- (क) शिकायत रद्द कर सकती है यदि वह महत्वहीन है; अथवा
- (ख) शिकायत के निवारण के लिए पक्षों में मध्यस्थता स्थापित कर सकती है।

(3) यदि शिकायत में अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया जाता है तो समिति को भेज देगी।

22. शिकायत निवारण नीति में निम्नलिखित प्रावधान होंगे:-

- (i) शिकायतें दायर करने के लिए प्रारूप और तरीका;
- (ii) किसी शिकायत की पावती भेजने के लिए अधिकतम समय और प्रारूप
- (iii) शिकायत को रद्द करने, अनुशासनात्मक समिति के पास भेजने या मध्यस्थता के माध्यम से निपटान का अधिकतम समय;
- (iv) मध्यस्थता तंत्र का विवरण;
- (v) शिकायत की रिपोर्ट के प्रावधान और शिकायत को रद्द करने या समाधान करने के लिए मध्यस्थता का प्रावधान;
- (vi) दुर्भावनापूर्ण और गलत शिकायतों के मामले में कार्रवाई करना;
- (vii) की गई शिकायतों और उनके समाधानों का एक रजिस्टर रखना;
- (viii) शिकायत निवारण तंत्र आवधिक समीक्षा करना।

X. अनुशासनात्मक कार्रवाई

23. एजेंसी व्यावसायिक सदस्यों के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी कर अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है:

- (क) शिकायत निवारण समिति द्वारा दिए गए संदर्भ के आधार पर;
 - (ख) व्यावसायिक सदस्यों की निगरानी के आधार पर;
 - (ग) बोर्ड या किसी न्यायालय द्वारा दिए गए निदेशों के आधार पर
 - (घ) इसके द्वारा प्राप्त किसी सूचना के आधार पर स्वयं संज्ञान लेते हुए
- ¹⁸[23क. नियत कार्य के लिए प्राधिकार, यथास्थिति, एजेंसी या बोर्ड द्वारा अनुशासनिक कार्यवाहियां प्रारंभ करने पर निलंबित हो जाएगा।]

24. एजेंसी की एक अनुशासनात्मक नीति होगी, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान होंगे :-

- (क) ऐसा तरीका जिसमें अनुशासनात्मक समिति तथ्यों को सुनिश्चित कर सके;

¹⁸ अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2019-20/जी.एन./आर. ई. जी.043, दिनांकित 23-07-2019 द्वारा अंतःस्थापित।

(ख) तथ्यों के आधार पर कारण बताओ नोटिस जारी करना;

(ग) प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के आधार पर किसी तर्कसंगत आदेश द्वारा कारण बताओ नोटिस का निपटान करना;

(घ) कारण बताओ नोटिस के निपटान के विभिन्न चरणों के लिए समय सीमा; और

(ङ) कार्रवाई के लिए पक्षों के अधिकार एवं बाध्यताएं।

(2) अनुशासनात्मक समिति द्वारा पारित किए जाने वाले आदेशों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :-

(क) व्यावसायिक सदस्यों का निष्कासन;

(ख) व्यावसायिक सदस्य का किसी निश्चित समयावधि के लिए निलंबन;

¹⁹[(खक) नियत कार्य के लिए प्राधिकार का रद्दकरण;]

(ग) व्यावसायिक सदस्यों को चेतावनी;

(घ) आर्थिक जुर्माना लगाना;

(च) मामलों का संदर्भ बोर्ड को देना जिनमें उचित मामलों में, बोर्ड द्वारा प्रवर्तित क्षतिपूर्ति की राशि की सिफारिश करना, या मुआवजा भी शामिल हो किया जाए; और

(छ) लागत से संबंधित निदेश।

(3) अनुशासन समिति किसी व्यावसायिक सदस्य की निष्कासन आदेश पारित कर सकती है यदि उसे ज्ञात हो की व्यावसायिक सदस्य ने निम्न कारित किया है –

(क) किसी विधि जो उस समय प्रवृत्त हो के तहत अपराध करने पर छह माह से अधिक के कारावास या अपराध जिसमें नैतिक दंड शामिल हो, से दंडित हो सकता है;

(ख) संहिता, नियमों, विनियमनों और उसके अंतर्गत जारी दिशानिर्देशों, उप-विधियों या शासी बोर्ड द्वारा दिए गए निदेशों का गंभीर उल्लंघन उसे दिवाला व्यावसायिक के रूप में कार्य जारी रखने के लिए अनुपयुक्त व अयोग्य बनाता है।

स्पष्टीकरण – उपखंड (ख) के उल्लंघन में निम्न शामिल है –

¹⁹ अधिसूचना सं. आई.बी.बी. आई./2019-20/जी.एन./आर. ई. जी.043, दिनांकित 23-07-2019 द्वारा अंतःस्थापित।

- (i) संहिता की धारा 28, 31, 111 और 153 के अधीन क्रेडिटर्स का अनुमोदन प्राप्त करने के उद्देश्य से मिथ्या प्रतिनिधित्व या कपट में शामिल होना;
- (ii) संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन उस तरीके से करना जिस पर संहिता की धारा 70(2) या 185 के अनुसार कार्रवाई की जा सके।
- (iii) संहिता की धारा 14, 96, 101 या 124 के उल्लंघन में ज्ञात रूप से या जानबूझ कर कारित करना या कारित करने के लिए प्राधिकृत या अनुमति देना।
- (iv) संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर संहिता की धारा 71 या 187 के अनुसार कार्रवाई;
- (v) ऐसी किसी गतिविधि में साथ देना या उकसाना जो कि संहिता के अध्याय-VII के भाग-II या अध्याय-VII के भाग-III के अनुसार कार्रवाई योग्य हो;
- (vi) किसी भी पक्षकार को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा असमान एवं विषम कार्य करना जो दिवाला समापक तथा शोधन अक्षमता प्रक्रिया के हित में उचित न हो, या
- (vii) किसी अन्य मामले में जो वह उचित समझे।

(4) अनुशासन समिति द्वारा पारित कोई आदेश को ऐसे उल्लिखित आदेश के पारित करने के सात दिवस के भीतर वेबसाइट पर रखना होगा और आदेश की एक प्रति कार्रवाई के पक्षकारों को प्रदान करनी होगी।

(5) एजेंसी द्वारा अनुशासन समिति के आदेशों के अंतर्गत प्राप्त मौद्रिक दंड को संहिता की धारा 224 के अंतर्गत गठित दिवाला और अशोधन क्षमता निधि में जमा कराना होगा।

25. (1) शासी बोर्ड एक अपीलीय पैनल का गठन करेगा जिसमें एजेंसी का एक स्वतंत्र निदेशक, विधि के क्षेत्र का व्यापक अनुभव वाले ख्याति प्राप्त व्यक्तियों में से एक सदस्य, एक सदस्य बोर्ड द्वारा नामित होगा।

(2) अनुशासन समिति के आदेश से प्रभावित कोई व्यक्ति अपीलीय पैनल के समक्ष अपील अंतिम आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकता है।

(3) अपीलीय पैनल, अपील की प्राप्ति के तीस दिवस के भीतर निपटान उस तरीके से करेगा जो वह वांछनीय समझे।

XI. व्यावसायिक सदस्यता का समर्पण और व्यावसायिक सदस्यता से निष्कासन

²⁰[नियत कार्य के लिए प्राधिकार का अभ्यर्पण]

26(1) कोई व्यावसायिक सदस्य, नियत कार्य के लिए अपने प्राधिकार का अभ्यर्पण करने के लिए,-

(क) भारत में उसके अनिवासी व्यक्ति बनने;

²⁰ अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2019-20/जी.एन./आर. ई. जी.043, दिनांकित 23-07-2019 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ख) उसके द्वारा कोई नियोजन ग्रहण करने; या

(ग) उसके द्वारा आचार संहिता के अधीन विनिर्दिष्ट रूप से अनुज्ञात कारबार के सिवाय कोई कारबार आरंभ, करने से कम से कम तीस दिन पूर्व एजेंसी को आवेदन करेगा और ऐसा अभ्यर्पण स्वीकार कर लिए जाने पर एजेंसी द्वारा अभ्यर्पण को स्वीकार करने के एक कार्य दिवस के भीतर बोर्ड को इसकी सूचना दी जाएगी।

(2) एजेंसी द्वारा नियत कार्य के लिए प्राधिकार के अभ्यर्पण के लिए कोई आवेदन तब स्वीकार नहीं किया जाएगा, यदि –

(क) नियत कार्य के लिए प्राधिकार निलंबित कर दिया गया है;

(ख) कोई नियत कार्य चल रहा है;

(ग) बोर्ड द्वारा नियत कार्य करने के लिए तैयार किए गए किसी पैनल में व्यावसायिक सदस्य का नाम शामिल किया गया है।

व्यावसायिक सदस्यता का समर्पण

27. (1) व्यावसायिक सदस्य जो एजेंसी की सदस्यता के समर्पण का इच्छुक है वह सदस्यता के समर्पण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर ऐसा कर सकता है।

(2) सदस्यता के समर्पण की स्वीकृति के और ऐसी स्वीकृति के तीस दिवस पूरे होने पर व्यावसायिक सदस्य का नाम एजेंसी के रजिस्ट्रों से काटा जाएगा और यह बोर्ड को सूचित किया जाएगा।

28. एजेंसी की व्यावसायिक सदस्यता से हटने के लिए आवेदन करने वाले सदस्य के ऊपर बकाया एजेंसी का कोई भी शुल्क एजेंसी के रजिस्टर से उसका नाम हटाने से पहले वसूला जाएगा।

29. किसी व्यावसायिक सदस्य द्वारा सदस्यता समर्पण को एजेंसी स्वीकार करने से मना कर सकती है यदि –

(क) यदि एजेंसी या बोर्ड के समक्ष व्यावसायिक सदस्य के विरुद्ध कोई शिकायत या अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित हो या

(ख) व्यावसायिक सदस्य को संहिता के अंतर्गत प्रक्रिया में संकल्प व्यवसायी, समापक या अशोधन न्यासी के रूप में नियुक्त किया गया हो और अन्य दिवाला व्यवसायी की नियुक्ति ऐसी प्रक्रिया में हानिकारक हो सकती है।

व्यावसायिक सदस्यता से निष्कासन

30. एजेंसी द्वारा व्यावसायिक सदस्य का निष्कासन किया जाएगा –

(क) यदि वह उप-विधि 9 के अंतर्गत नामांकन के लिए अयोग्य हो जाए;

(ख) अनुशासन समिति द्वारा पारित आदेश के तीस दिवस की समाप्ति पर सिवाय उस स्थिति के जबकि वह अपीलीय पैनल द्वारा रद्द या स्थगन आदेश पारित किया हो;

- (ग) लिखित में कम से कम दो बार सूचना देने के बावजूद व्यावसायिक सदस्यता शुल्क का भुगतान न करने पर;
- (घ) बोर्ड द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र के निरस्त करने पर;
- (ङ) कोई विधि न्यायालय के आदेश पर।

**अनुलग्नक
प्ररूप क
व्यावसायिक सदस्यता का प्रमाणपत्र
(एजेंसी के उप-विधियों की उप-विधि 10 के अंतर्गत)**

सं.

1. यह प्रमाणित किया जाता है [नाम प्रविष्ट करें] जो निवासी [पता प्रविष्ट] को व्यावसायिक सदस्य के रूप में नामांकन [दिवाला व्यावसायिक एजेंसी का नाम प्रविष्ट करें] उनकी व्यावसायिक सदस्यता संख्या [संख्या प्रविष्ट करें] के साथ किया जाता है।

2. यह प्रमाण पत्र [तारीख प्रविष्ट करें] से वैध होगा।

हस्ताक्षर
के लिए उनकी तरफ से [दिवाला व्यावसायिक एजेंसी का नाम]

स्थान:
तारीख:

**²¹प्ररूप ख
नियत कार्य के लिए प्राधिकार
(एजेंसी की उप-विधियों की उप-विधि 12क के अधीन)**

सं.

तारीख.

नियत कार्य के लिए यह प्राधिकार (नाम अंतःस्थापित करें) को, जो (दिवाला व्यावसायिक एजेंसी का नाम अंतःस्थापित करें) के व्यावसायिक सदस्य के रूप में नामांकित है, जिसकी व्यावसायिक सदस्यता सं. (संख्यांक अंतःस्थापित करें) है और जो दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के पास दिवाला व्यावसायिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है और जिसका रजिस्ट्रीकरण संख्यांक (संख्यांक अंतःस्थापित करें) है, जारी किया जाता है।

2. यह प्राधिकार (तारीख अंतःस्थापित करें) से (तारीख अंतःस्थापित करें) तक विधिमान्य है। /इस प्राधिकार का (तारीख अंतःस्थापित करें) को नवीकरण किया जाता है और वह (तारीख अंतःस्थापित करें) तक विधिमान्य है। (जो लागू न हो उसे काट दीजिए)।

हस्ता/-
(दिवाला व्यावसायिक एजेंसी का नाम) की ओर से

स्थान:

तारीख: " .]

²¹ अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2019-20/जी.एन./आर. ई. जी.043, दिनांकित 23-07-2019 द्वारा अंतःस्थापित।

(डा. एम. एस. साहू)
अध्यक्ष
भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड